



UPLK010122022020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1453 / 2020

सरकार

बनाम

सरवन लोध आदि

अ0सं0 159 / 2019

धारा-452,323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द, ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-नगराम, लखनऊ ।

31-07-2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 31.08.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।



UPLK010122022020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1453 / 2020

सरकार

बनाम

सरवन लोध आदि

अ0सं0 159 / 2019

धारा-452,323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द, ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-नगराम, लखनऊ ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्वारा आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 11.10.2019 समय 06.00 बजे शाम थाना नगराम जिला लखनऊ सीमान्तर्गत छंगाखेड़ा में आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता के पति राम सजीवन को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता के पति राम सजीवन व पुत्री प्रीती को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता के पति राम सजीवन व पुत्री प्रीती को भद्दी-भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता के पति राम सजीवन व पुत्री प्रीती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा

506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता के पति राम सजीवन व पुत्री प्रीती को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण सरवन लोध, चन्द्रशेखर लोध, भल्लर उर्फ राधेश्याम, चन्द्रभान द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता के पति राम सजीवन व पुत्री प्रीती जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 31-07-2025
(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी०६१२७

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 31-07-2025
(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी०६१२७